

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

उपखण्ड अधिकारी बस्सी

बस्सी जिला जयपुर

संख्या 257/2005

2005/00074

दिनांक आदेश या कार्यवाही	अज्ञात विस्तृत रूप में	विशेष विवरण
25/7/22	पत्रावली पेडा हूड पत्रावली पूर्व आदेशों कीपालना	
	दिए गए न्यायप्रति। में अन्तिम अवसर सिमावाक पत्रावली (दिनांक 29/8/22) को पेडा हूड	
29/8/22	पत्रावली धाज पेडा हूड / वारी एवं वकीलवारी अनुपास्थित। धार - 2 अबाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं था। उममे यह पुष्ट होता है कि वारी एवं वकील - वारी व डि - फा को आगे चलाने हेतु कतर्ब उच्छुक नहीं हैं। सिमावा वारी का वाद अदमपैरवी - अदम - हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली लख फेशन शुमात हो कर नम्बर से कम होने पर दायित्व दफतर हो।	
	निर्णय धाज दिनांक 29/8/22 को सुनी- भयम हैं सुले न्यायालय एवं अरेडजबास सुनाया गया	

26
उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)